भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1581
28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: वर्षा की कमी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना

1581. श्री राकेश राठौरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जून 2026 में सामान्य से कम हुई वर्षा से खरीफ फसलों की बुआई और कृषि उत्पादन पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के सीतापुर के विशिष्ट ब्यौरे की स्थिति सहित वर्षा में कमी, खरीफ फसलों की बुआई की स्थिति और विलंबित मानसून से प्रभावित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कम वर्षा की स्थिति में किसानों को समय पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या प्रभावित क्षेत्रों के लिए सूखा-रोधी बीजों, सिंचाई सहायता और फसल बीमा के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों की आय और कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): खरीफ 2026-27 की बुआई का कार्य अभी भी जारी है, और 2026-27 कृषि वर्ष (जुलाई-जून) में सभी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। दिनांक 17.07.2026 तक खरीफ की बुआई की स्थिति **अनुबंध- I** के रूप में संलग्न है।

सभी राज्यों में वर्षा की राज्यवार और जिलावार जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/ पर उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में संचयी वर्षा (दिनांक 01.06.2026 से 24.07.2026 तक) का विवरण निम्नलिखित है:

ज़िला	संचयी वर्षा (दिनांक 01.06.2026 से 24.07.2026 तक)		
	वास्तविक (औसत) आरएफ (मिमी में)	सामान्य (औसत) आरएफ (मिमी में)	सामान्य से विचलन का प्रतिशत
सीतापुर	168.7	343.5	-51

(ग) एवं (घ): केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय के जल के अधिकतम उपयोग के लिए अग्रिम योजना बनाने और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) जैसी प्रचालित योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। ग्रामीण विकास विभाग, कृषि तालाबों, चेक डैम, नहरों की गाद निकालने और बोरी बंधन जैसी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) निधि का उपयोग

कर रहा है ताकि प्रारंभिक या अवशिष्ट वर्षा की प्रत्येक बूंद को संचित किया जा सके। इसके अलावा, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों के अंतर्गत, विभाग विभिन्न योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है, जैसे कि... प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन मिशन योजना और देश भर में चल रहे अन्य कार्यक्रम।

1 से 30 जून, 2026 तक राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 80,67,300 किसानों ने 1,14,567 कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना, कुशल सिंचाई प्रणाली को कार्यान्वित करना और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना था। साथ ही, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा पूर्वानुमानित वर्षा की स्थिति को देखते हुए संवेदनशील श्रेणी में रखे गए जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत एक गहन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरण अभियान और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

कृषि एवं किसान एवं कल्याण विभाग ने राज्यों (उत्तर प्रदेश सहित) और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को जिला स्तर पर फसल और किस्मों के चयन के लिए पूर्व-मौसम योजना, राष्ट्रीय बीज भंडार (एनएसआर) फ्रेमवर्क के तहत जल्दी परिपक्व होने वाली कम अवधि की किस्मों के राज्य स्तरीय बीज भंडार को मजबूत करने, मानसून शुरू होने से पहले आकस्मिक बीज भंडार को सक्रिय करने और मांग के चरम पर बीज की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी के लिए एक सलाह जारी की है।

वर्ष 2026-27 के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम): बीज घटकों के अंतर्गत हस्तक्षेप करने के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना के तहत 2684.72 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(ड.): भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डीए एंड एफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 27,622.67 करोड़ रुपये (बीई) से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 के दौरान 1,40,416.57 करोड़ रुपये (बीई) कर दिया है।

भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ा कर, लाभकारी प्रतिफल प्रदान करके और आय सहायता प्रदान करके किसानों का कल्याण करना है, **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

कम वर्षा के कारण किसानों की आय और कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की कार्य योजना **अनुबंध-III** में देखी जा सकती है।

अनुबंध- I

दिनांक 17.07.2026 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत साप्ताहिक क्षेत्रफल कवरेज की राज्यवार प्रगति					
	क्षेत्र: लाख हेक्टेयर में				
क्र. सं.	राज्य	सामान्य अवधि (2020-21 से 2024-25)	बोया गया क्षेत्र		सामान्य क्षेत्रफल की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-)
			2026 (दिनांक 13.07.2026 तक)	2025 (संबंधित सप्ताह के अनुसार)	
1	आंध्र प्रदेश	31.13	8.93	6.90	2.03
2	असम	21.51	7.65	5.54	2.11
4	बिहार	35.63	15.66	8.92	6.74
5	छत्तीसगढ	42.45	25.51	28.63	-3.12
6	गुजरात	73.97	38.16	46.56	-8.40
7	हरियाणा	27.64	19.14	21.62	-2.48
8	हिमाचल प्रदेश	3.53	2.23	3.35	-1.12
9	झारखंड	19.67	4.35	2.90	1.45
10	जम्मू और कश्मीर	5.90	3.46	3.85	-0.39
11	कर्नाटक	78.96	40.23	52.14	-11.91
12	मध्य प्रदेश	138.48	103.56	101.49	2.07
13	महाराष्ट्र	157.49	114.28	129.72	-15.44
15	ओडिशा	44.88	8.66	12.86	-4.20
16	पंजाब	35.04	30.90	31.71	-0.81
17	राजस्थान	130.75	91.90	106.38	-14.48
18	तमिलनाडु	24.12	4.20	4.60	-0.40
19	तेलंगाना	50.90	24.19	23.76	0.43
20	उत्तर प्रदेश	117.83	94.21	88.63	5.58
21	उत्तराखंड	4.68	4.22	4.47	-0.25
22	पश्चिम बंगाल	48.28	9.64	9.76	-0.12
कुल (20 प्रमुख राज्य)		1092.84	651.08	693.79	-42.71
अन्य राज्य		11.61	7.11	6.68	0.43
अखिल भारत		**1104.45**	**658.19**	**700.47**	**-42.28**

अनुबंध- II

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ एवं कार्यक्रम

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
6. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम
8. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
9. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
10. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
12. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
15. डिजिटल कृषि मिशन
16. राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
18. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
19. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
20. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
21. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
22. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
23. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
24. नमो ड्रोन दीदी
25. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
26. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन
27. स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यम के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
28. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
29. पीएम धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)
30. कृषि वानिकी

अनुबंध- III

कम वर्षा के कारण किसानों की आय और कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कार्य योजना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों, आईसीएआर- केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और राज्य सरकारों के साथ करीबी समन्वय करते हुए मानसून की बदलती स्थिति और कृषि पर अल नीनो की स्थिति के संभावित प्रभाव की लगातार निगरानी कर रहा है।

आईसीएआर केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीआरआईडीए) द्वारा राज्यों के साथ परामर्श करके सामान्य से कम वर्षा के पूर्वानुमान वाले 14 राज्यों के 342 जिलों में कारयानवायन के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं (डीएसीपी) को अद्यतन किया गया है।

जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं (डीएसीपी) के प्रचालन हेतु आईसीएआर द्वारा महाराष्ट्र सहित 14 राज्यों के साथ इंटरफेस बैठकें आयोजित की गई हैं। साथ ही, आईसीएआर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के लिए अल नीनो से संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की गई हैं।

पर्याप्त मात्रा में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, राज्यों की 172.80 लाख क्विंटल की मांग की तुलना में खरीफ फसलों के 192.25 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध हैं। राज्यों ने 1% बीज अर्थात् 1.74 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार के रूप में आरक्षित रखे हैं।

फसल विविधता को बढ़ावा देने, कम अवधि वाली और सूखा-अनुकूल फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण पद्धतियों, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, अंतरफसल खेती और अन्य जलवायु-अनुकूल तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है। मानसून में देरी और अल नीनो के प्रतिकूल प्रभावों के कारण, तुअर, सोयाबीन और कपास की बुआई प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए किसानों को मक्का, बाजरा, मूंग और अन्य कम अवधि वाली फसलों की बुआई करने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में विचाराधीन होती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि वास्तविक/दावा किए गए नुकसान के मुआवजे के लिए।
